न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक 25.1.18

रिपोर्ट पटवारी हल्का [illegible] द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 8.12.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित /अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल इस्माइल खाँ पुत्र फत्ते खाँ कौम मुसलमान निवासी [illegible] तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 60/526 किस्म [illegible] रकवा 1.00 वाके ग्राम [illegible] पर [illegible] की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से **तलब किया गया** । गैर सायल उपस्थित/ अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नही **किया गया** । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का **अतिचार सिद्ध होता है।**

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम **1956** की धारा **91** के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 0.80 की **50 गुनी से** शास्ति राशि 40/- रूपये आरोपित की जाती है। भू0अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तहसीलदार
राजाखेडा